रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229460 CG-DL-E-07092021-229460

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] No. 369] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

## भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-08/ए-1-2020/एन-01.—खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इनके विनियमों का मसौदा इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त उप-धारा (2) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

4938 GI/2021 (1)

### प्रारूप विनियम

- इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2021 कहा जा सकता है।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिन्हें एतद्पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा), की,-
- (1) अनुसूची-II के विनियम 1 के उप-विनियम (3) में क्रम संख्या (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

	क्रम	खाद्य वस्तु	घोषणाएँ
	सं.		
",	1	पान	पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है।
		मसाला	टिप्पण: चेतावनी की सूचना लेबल के सम्मुख भाग के 50% भाग पर हो।"

(2) अनुसूची-2 के विनियम 2 के उप-विनियम 2.5 के पश्चात निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

### "2.6 विभिन्न प्रकार की ब्रेडों की लेबलिंग

नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की ब्रेडों की नामावली कॉलम (3) और (4) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे:

क्रम	ब्रेड का नाम	विशेषता संघटक	आटे के % के रूप में
सं0			विशेषता संघटक की
			न्यूनतम मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गेहूँ की चोकरयुक्त ब्रेड	गेहूँ का चोकरयुक्त आटा	75%
2.	गेहूँ की ब्रेड अथवा ब्राउन	गेहूँ का चोकरयुक्त आटा	साबुत गेहूँ का आटा कम
	ब्रेड		से कम 50% हो (शुष्क
			द्रव्यमान के आधार पर)
3.	सफेद ब्रेड	मैदा	-
4.	बहुखाद्यान्न ब्रेड	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य	गेहूँ के अलावा अन्य
		उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य)	धान्य कम से 20% हों।
		विनियम, 2011 द्वारा अनुमत	
		खाद्यान्न	
5.	विशेषता ब्रेड लेबल पर 'ब्रेड' शब्द से पहले कोई प्रत्यय जोड़े जाने पर		त्यय जोड़े जाने पर मौजूद
		रहने वाला विशेषता संघटक	
	क) मिल्क ब्रेड	दूध के ठोस पदार्थ	6%
	ख) हनी ब्रेड	शहद	5%
	ग) पनीर ब्रेड	पनीर	10%
	घ) ओटमील ब्रेड	ओट	15%

ङ)	दलिया ब्रेड	दलिया	15%
च)	अंकुरित गेहूँ की ब्रेड	गेहूँ का अंकुर	2%
ন্ত)	अंडा ब्रेड	खाद्य साबुत अंडे के ठोस पदार्थ	1.5%
ज)	फ्रूट ब्रेड अथवा लोफ	कैंडीड फल	20%
झ)	ट्राइटिकेल ब्रेड	ट्राइटिकेल का आटा	20%
স)	राई ब्रेड	राई का आटा	20%
ਟ)	किशमिश ब्रेड	किशमिश	20%
ਠ)	चोकर ब्रेड	खाद्य चोकर	5%
ड)	प्रोटीन-प्रचुर ब्रेड	खाद्य प्रोटीन	20% प्रोटीन
ত)	लहसुन, मसाला,	लहसुन, अजवाइन इत्यादि	2%
	अजवाइन इत्यादि की ब्रेड		

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./233/2021]

टिप्पणी.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी(लेबलिंग)/2014(भाग 2), दिनांक 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

# FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

**F. No. Std/SP-08/A-1-2020/N-01.**—The following draft of certain regulations to further to amend the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub section (2) of section 92 read with section 23 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006)hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified shall be considered by the Food Safety and Standards authority of India.

#### **Draft Regulations**

- 1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2021.
- 2. In the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (herein after refer as said regulations), -
- (1) In Schedule II, in Sub-Regulation (3) of Regulation 1, for Serial Number (1), the following shall be substituted, namely: -

S. No.	Articles of food	Declarations
1.	Pan Masala	CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH
		Notes The service of
		<b>Note:</b> The warning statement must cover 50% of front-of-pack of the label

(2) In schedule-II, in Regulation 2, after sub-regulation 2.5, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"2.6 Labelling of various types of bread

The nomenclature of various breads mentioned in column (2) shall comply with requirements mentioned in columns (3) & (4) of the table below:

S.No.	Name of Bread	Specialty Ingredient	Minimum amount of Specialty Ingredient as % of Flour
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Whole Wheat Bread	Whole wheat flour (Atta)	75%
2.	Wheat Bread or Brown Bread	Whole wheat flour (Atta)	Whole grain flour should be at least 50% (dry mass basis)
3.	White bread	Refined wheat flour (Maida)	-
4.	Multigrain Bread	Food grains permitted under FSS (Food Product Standards & Food Additives) Regulations, 2011	Minimum 20% should be grains other than wheat
5.	Specialty Bread	Specialty ingredient that must be present in case a prefix is added to the term "bread" on the label	
a)	Milk bread	Milk solids	6%
b)	Honey bread	Honey	5%
c)	Cheese bread	Cheese	10%
d)	Oatmeal bread	Oats	15%
e)	Cracked wheat /Dhalia bread	Cracked wheat/Dhalia	15%
f)	Bread with wheat germ	Wheat germ	2%
g)	Egg bread	Edible Whole Egg solids	1.5%
h)	Fruit bread or loaf	Candied Fruit	20%
i)	Triticale bread	Triticale flour	20%
j)	Rye bread	Rye flour	20%
k)	Raisin bread	Raisins	20%
1)	Bran bread	Edible Bran	5%

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

m)	Protein enriched bread (Protein prachur bread)	Edible Protein	20% Protein
n)	Bread such as Garlic bread, masala bread, oregano bread etc.	Garlic, Orgeno etc.	2%

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./233/2021]

**Note.-** The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F.No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014 (Pt-2), dated 17<sup>th</sup> November, 2020.